न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला–सतना (म.प्र.)

क्रमांक– /24 सतना, दिनांक : 27.02.2024

(आदेश)

मैं, **अनीता खजूरिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला–सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **माह–मार्च 2024** की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यिुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेगे –

क.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह–मार्च	
1	2	3	
तहसील–चित्रकूट			
1	श्री सौरभ गोस्वामी,	08, 10, 16, 25, 29, 31	-
2	सुश्री रवीना चौधरी	03, 17, 24, 26	-

नोटः–

1– कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक–64/चार–1–1/2013/14 सतना, दिनांक–24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड ड्यिूटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।

2– पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

3– न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डियूटी होने पर आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सहमति बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए रिमाण्ड डियूटी परिवर्तित कर सकेंगे।

4– सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा–164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेगे।

5– अवकाश अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रोटोकाल का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

Sd/-
(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक– 37(2) /24 सतना, दिनांक : 27.02.2024

प्रतिलिपिः–

1– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला–सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

27/2/24
(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)